

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम



स्वास्थ्य कार्यकर्ता गाइड

तंबाकू सेवन के कारण प्रतिदिन 2,200 से अधिक भारतीय व्यक्तियों की मौत होती है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों की तंबाकू की आदत छुड़वाने में मदद कर सकते हैं।



तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों को इसकी आदत छुड़वाने में मदद करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है जो आप उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं।



भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय



राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन



डा०डी०सी०जैन
उप महानिदेशक
दूरभाष 011;23061806

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली -110108
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI - 110108

Date.....

आभार

तंबाकू सेवन, गैर संचारी रोगों से जुड़े जोखिम का प्रमुख कारण है। इसके समाधान के लिए, भारत सरकार ने एक नई पहल के रूप में वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में तंबाकू सेवन तथा उसके सम्पर्क में आने वाले दूसरे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण, सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बनाए गए उपबंधों तथा तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों को तंबाकू छोड़ने में मदद करना शामिल है।

बड़ी संख्या में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्त्ताओं को व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी।

यह प्रशिक्षण मॉड्यूल माननीय डा० आर० के० श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के प्रकाशन में उनके समर्पित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, इस मॉड्यूल की तैयार करने में मार्गदर्शन करने तथा पूर्णरूपेण रुचि लेने के लिए डा० दिनेश भटनागर अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का धन्यवाद अदा करता हूँ।

मैं, क्षयरोग तथा फेफड़ा रोग के अंतर्राष्ट्रीय संघ की सुश्री कैली लारसन, डा० नैवीन विल्सन और डा० राणा जे सिंह तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की अधिकारी डा० जगदीश कौर का उनके अमूल्य सहयोग के लिए तथा डा. मीरा आगी और उनकी पूरी टीम का इस मॉड्यूल के क्षेत्र परीक्षणों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

मैं सुश्री वाणी कुरूप का धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने इस मॉड्यूल का डिजाइन तैयार करने में अपना सहयोग दिया।

अंत में मैं उन सभी लोगों की प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने इस मॉड्यूल को तैयार करने में जानकारी और अपने सुझाव उपलब्ध कराए।

Dr. J. C. Jain

डा० डी० सी० जैन
उप-निदेशक एवं ए० ए०
2007-08
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
Dir. General of Health Services
निर्माण भवन, नई दिल्ली
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI



डा० दिनेश भटनागर
अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
दूरभाष-23061467/23061963

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES
NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI - 110011

आमुख

Date.....

विश्व में मृत्यु के रोकथाम योग्य कारणों में तम्बाकू का सेवन प्रमुख है। तम्बाकू का ज्यादा सेवन जन स्वास्थ्य के बड़े खतरों में से एक है। भारत में तम्बाकू सेवन का बढ़ता प्रचलन गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने, लोगों, खासकर, युवाओं एवं बच्चों को तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए 'सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद तथा व्यापार व विपणन उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन अधिनियम, 2003 लागू किया है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यगत संयोजन (फ्रेमवर्क कन्वेंशन) को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है तथा इसका समर्थन करने वाले पहले कुछ देशों में शुमार है।

भारत सरकार ने समाज में प्रभावशाली ढंग से तम्बाकू नियंत्रण हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरु किया है। यह कार्यक्रम, कार्यक्रम की कार्यनीतियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु राज्यों तथा जिलों की क्षमता निर्माण में तथा तम्बाकू रोधी कानून को सहायता प्रदान कर रहा है।

जन-शिक्षा, कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है जिसे समुदायिक स्तर पर प्रसारित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों के संबंध में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बुनियादी स्तर पर लोगों तक पहुंच होती है, इस प्रकार के व्यक्ति विशेष तथा समुदाय के आचरण / व्यवहार में बड़ा परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता गाइड स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भारत में तंबाकू सेवन की समस्या, तंबाकू का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और धूमपान करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव (सेकिन्ड हैंड स्मोक) तंबाकूरोधी कानून के अंतर्गत बनाए गए उपबंधों तथा तंबाकू के सेवन के प्रचलन को कम करने के लिए समुदायों को जागरूक करने में उनकी भूमिका तथा तंबाकू का सेवन छुड़वाने में सहायता करके लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के विषय में सुग्राही बनाने हेतु बुनियादी जानकारी प्रदान करती है। यह गाइड देश में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के बुनियादी स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले संदेशों पर ध्यान देते हुए सरल भाषा में लिखी गई है।

में आशा करता हूँ कि यह गाइड, देश में तंबाकू-सेवन के प्रचलन तथा इसके सेवन से होने वाली बीमारियों को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध होगी।

दिनेश भटनागर

स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को उनकी तंबाकू सेवन करने की आदत छुड़वाने में मदद कर सकते हैं

समुदाय के सदस्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का आदर करते हैं। वे उनकी बात सुनते हैं और उनकी स्वास्थ्य-संबंधी सलाह को महत्व देते हैं।

आप कई महत्वपूर्ण कार्य करके अपने समुदाय की मदद कर सकते हैं।

- तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन न करें, एकांत में भी नहीं।
- तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में समुदाय के सदस्यों को शिक्षित करना:

सभी तंबाकू उत्पाद हानिकारक हैं।

कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है।

बीड़ी उतनी ही हानिकारक हैं जितनी की सिगरेट।

सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा होता है।

तम्बाकू चबाने से मुंह के कैंसर सहित कई रोग हो सकते हैं।

- तम्बाकू के प्रयोग से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों और परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जागृत करने के साथ इसकी आदत छोड़ने के फायदों को उजागर करना।
- धूम्रपान छोड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सहयोग देना।
- धूम्रपान नहीं करके या तंबाकू नहीं चबाकर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आपके क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं और सार्वजनिक स्थान धुएं से मुक्त हैं।
- युवाओं को तंबाकू सेवन शुरू करने से बचाना।
- अपने स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र के पास के स्कूलों के कार्मिकों के साथ इस विषय पर चर्चा करना और तंबाकू नियंत्रण के अपने प्रयासों में उनको शामिल करना।

तम्बाकू से संबंधित तथ्य

- विश्वभर में रोकी जा सकने वाली मौतों और बीमारियों का एकमात्र सबसे बड़ा कारण तंबाकू सेवन है।
- भारत में लगभग 55 लाख लोग प्रतिवर्ष तम्बाकू सेवन से प्रतिवर्ष मरते हैं।
- लगभग 8 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तंबाकू सेवन से मरते हैं जो कि क्षयरोग, एड्स और मलेरिया के कारण मरने वाले कुल लोगों से अधिक हैं।



- प्रतिदिन 2,200 से अधिक भारतीय तम्बाकू सेवन के कारण मरते हैं।
- भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में 40 तम्बाकू के प्रयोग के कारण मरते हैं।
- लगभग 95 प्रतिशत मुंह के कैंसर तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों में होते हैं।
- अभिघात, हार्ट-अटैक, फ़ैफड़े के रोग, दृष्टिविहीनता और कुछ अन्य रोग तम्बाकू के इस्तेमाल के कारण होते हैं।

तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और उनसे 10 वर्ष पहले मरते हैं।

भारत में तम्बाकू उत्पाद

धूम्रपान के अलावा तम्बाकू सेवन के कई प्रकार हैं:



बीड़ी

बीड़ी सिगरेट की ही तरह हानिकारक है।



सिगरेट



हुक्का

सिगरेट में 4 हजार रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष, और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं।

धूम्रपानरहित तंबाकू के कई प्रकार हैं (जैसे ज़र्दा, खैनी, गुटका, तंबाकूयुक्त पान मसाला, मावा, मिसरी एवं गुल)



खैनी



गुटका



ज़र्दा

तम्बाकू से होने वाली प्रमुख बीमारियां

कैंसर

चिरकालिक रोग



मुंह का कैंसर



फेफड़े का कैंसर

अत्यधिक जोखिम वाले रोग :

- चिरकालिक श्वसन संबंधी रोग, दमा क्षयरोग और बार-बार छाती में संक्रमण
- कोरोनरी हृदय रोग
- फेफड़े का कैंसर



स्मोकर गेंगरिन (बरजर रोग)

लेरिक्स
ओरोफेरिंग्स

ट्रकिया
ब्रॉन्कस या फेफड़ा

अभिधात

कोरोनरी हृदय रोग
निमोनिया / क्षयरोग

चिरकालिक अवरूद्ध
पुलमोनरी रोग, दमा
और वसन संबंधी
अन्य प्रभाव

नपुंसकता

महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव :

- प्रजननता में कमी
- स्फूर्त गर्भपात
- शिशुओं का जन्म के समय कम वजन, मृत बच्चे का जन्म
- गर्भाशय कैंसर

स्रोत: यू एस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमेन सर्विसेज। द हेल्थ कांसिक्वेन्सेस ऑफ स्मोकिंग ए रिपोर्ट ऑफ द सर्जन जनरल, अटलांटा, यू एस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमेन सर्विसेज, सेंटर फॉर डिजिज कंट्रोल एंड प्रिवेन्शन, नेशनल सेन्टर फॉर कॉन्सिल डिजिज प्रिवेन्शन, एंड हेल्थ प्रमोशन, ऑफिस ऑन स्मॉकिंग एंड हेल्थ, अटलांटा, 2004 http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/sgr_2004/chapters.htm, 5 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त।

तंबाकू किसी को नहीं छोड़ता – सेकेंड हेन्ड धूम्रपान भी मौत लाता है।



किसी अन्य की बीड़ी या सिगरेट से आने वाले धुएँ का पान करना सेकेंड हेन्ड धूम्रपान कहलाता है।

सेकेंड हैंड धूम्रपान बीड़ी-सिगरेट न पीने वाले वयस्को व बच्चों सभी को हानि पहुँचाता है।

सेकेंड हेन्ड धूम्रपान से होने वाली बीमारीयँ

बच्चे

- मध्यकर्ण रोग
- वसनीय रोग
- फेफड़े की कार्य क्षमता कम होना
- दमा
- शिशु की अचानक मौत (एस आई डी एस)

वयस्क

अभिघात

कोरोनरी हृदय रोग

फेफड़े का कैंसर

चिरकालिक अवरुद्ध पुलमोनरी रोग (सी ओ पी डी), चिरकालिक वसनीय रोग, दमा, क्षयरोग, फेफड़े की कार्य क्षमता



अत्यधिक जोखिम वाले रोग :

- चिरकालिक श्वसन संबंधी रोग, दमा, क्षयरोग और बार-बार छाती में संक्रमण
- कोरोनरी हृदय रोग
- फेफड़े का कैंसर
- एस आई डी एस (कॉट डेथ)

महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव :

- प्रजननता में कमी
- शिशुओं का जन्म के समय कम वजन, मृत बच्चे का जन्म
- गर्भाशय कैंसर



स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार के तम्बाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, यहां तक की एकांत में भी नहीं

स्वास्थ्यकर्मियों को समुदाय में प्रत्येक से पता लगाना चाहिए कि क्या वे धूम्रपान या तम्बाकू का सेवन करते हैं। तम्बाकू का किसी भी रूप में सेवन करने वालों को स्पष्ट और आत्मीय सलाह देकर उनसे इस हानिकारक और खराब आदत को छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए।

जो लोग इस तरह आपकी सलाह मानने को तैयार न हों, उन्हें स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक स्थिति पर तम्बाकू सेवन के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि तम्बाकू उत्पादों के बजाय उन्हें बेहतर खाद्य पदार्थों, कपडों, और बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च करना चाहिए।

आप और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले स्वास्थ्यकर्मियों होने के नाते मैं तम्बाकू सेवन की आदत छोड़ने में आपकी मदद करूंगा क्योंकि तम्बाकू का इस्तेमाल आप और आपके आसपास के सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

आपके क्षेत्र का स्वास्थ्यकर्मियों होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तम्बाकू की लत छोड़ने से आप लम्बा और स्वस्थ जीवन पाएंगे। इस आदत को त्यागने से आप अपने आसपास के लोगों कि भी रक्षा कर सकेंगे।

आपका स्वास्थ्यकर्मियों होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी यह आदत छोड़ेंगे, उतनी ही जल्दी बेहतर महसूस करने लगेंगे। आपके स्वास्थ्य में उतनी ही जल्दी सुधार आना शुरू हो जाएगा।

आपके स्वास्थ्यकर्मियों होने के नाते बताना चाहता हूँ, कि अभी भी देर नहीं हुई है। तम्बाकू उम्र के किसी भी पड़ाव पर छोड़ा जाए, स्वास्थ्य में सुधार ही करता है।

आपके स्वास्थ्यकर्मियों के रूप में मैं जानना चाहता हूँ कि आप तम्बाकू सेवन कब छोड़ने को तैयार हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ।

धूम्रपान छोड़ने के फायदे

धूम्रपान छोड़ने से आप बेहतर महसूस करेंगे और आप भोजन का बेहतर स्वाद ले पायेंगे।

धूम्रपान छोड़ने के 2 घंटे बाद : निकोटीन आपकी अंग प्रणाली से बाहर हो जाता है।

12 घंटे बाद : कार्बन मोनोक्साइड आपकी अंग प्रणाली से बाहर हो जाता है और फेफड़े का कार्य बेहतर होने लगता है।

2 दिन बाद : आपकी सुगंध की संवेदना बढ़ जाती है; शारीरिक कार्यकलाप आसान हो जाता है और अधिक मात्रा में वायु फेफड़े में जाती है।

2 महीने बाद : फेफड़े अधिक क्षमता से कार्य करते हैं और म्यूकस को दूर करने में सक्षम होते हैं; अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है।

12 महीने बाद : धूम्रपान जारी रखने वाले व्यक्ति की तुलना में हृदय रोग का जोखिम आधा हो जाता है।

10 वर्ष बाद : धूम्रपान जारी रखने वाले व्यक्ति की तुलना में फेफड़े के कैंसर का जोखिम आधे से भी कम हो जाता है।

15 वर्ष बाद : हार्ट अटैक और अभिघात का जोखिम उतना ही होता है जितना कभी भी धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति में होता है।

धूम्रपान छोड़ने के नुस्खे

- दृढ़ होना।
- धूम्रपान छोड़ने की तारीख नियत करना और इसका पालन करना;
- तम्बाकू उत्पाद, लाइटर, माचिस और ऐश ट्रे को नष्ट करना। आपको उनकी जरूरत नहीं होगी।
- अपने परिवार से कहें कि आप धूम्रपान छोड़ रहे हैं। उनसे कहें कि वे आपको प्रोत्साहित करके आपकी मदद करें।
- ऐसी परिस्थितियों का पता लगायें जो आपमें धूम्रपान करने की इच्छा जगाती हैं और उनसे बचें। उदाहरण के लिए बीड़ी की दुकान या धूम्रपान करने वाले/तंबाकू सेवन करने वाले लोगों को देखना।



कई युवा तंबाकू उत्पादों का सेवन शुरू कर रहे हैं।

लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं लेकिन लड़कियों में भी तम्बाकू सेवन का चलन बढ़ रहा है।

आज धूम्रपान करने वाले कम उम्र के 100 बच्चों में से 50 बच्चे अंततः तंबाकू संबंधी रोग से मर जायेंगे यदि वे इसका सेवन नहीं छोड़ते।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा युवाओं को स्पष्ट, ठोस एवं व्यक्तिगत सलाह दी जानी चाहिए और तंबाकू सेवन से होने वाली समस्याओं के बारे में बताया जाना चाहिए।

जब युवा धूम्रपान करते हैं या तंबाकू चबाते हैं तो वे :

- शारीरिक व्यायाम के दौरान और उसके बाद क्षीण शक्ति महसूस करते हैं।
- श्वास लेने, दौड़ने और खेलकूद संबंधी कार्यक्रमों में कठिनाई महसूस करते हैं।
- जल्द ही थक जाते हैं।

आपके स्वास्थ्यकर्ता के रूप में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि :

- भले ही धूम्रपान करते हुए आप 'ट्रेण्डी' 'कूल' या 'फैशनबल' दिखाई देते हो, यह आपको नपुंसक/बांझ बना सकते हैं।
- धूम्रपान और तम्बाकू सेवन से दांत में धब्बे हो जाते हैं और श्वास से बदबू आती है।
- धूम्रपान और तम्बाकू सेवन से आपकी त्वचा और बाल रूखे हो जाते हैं। इससे झुर्रियाँ होने की संभावना होती है।

भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए कानून

लोगों को तंबाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों से बचाने के लिए भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा) नामक एक राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अधिनियम बनाया है।

निम्नलिखित कार्य कानून के विरुद्ध हैं:

- कार्यस्थान सहित सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करना;
- तंबाकू उत्पादों के बारे में विज्ञापन देना।
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना।
- स्कूलों और कालेजों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना।
- बिना सचित्र चेतावनी के तंबाकू उत्पाद बेचना।



प्रत्येक सार्वजनिक स्थान में यह चेतावनी संकेत प्रदर्शित होना चाहिए।



डाकघर



सरकारी कार्यालय



क्लिनिक



रेस्टोरेंट

अधिनियम (कोटपा) की धारा अधिनियम के उपबंध

धारा 4 सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान पर प्रतिबंध

धारा 5 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध

धारा 6 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।

धारा 7, 8 एवं 9 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।

उल्लंघन की सूचना निम्नलिखित व्यक्ति को दी जाये:

डा./श्री.....

(नामोदित नोडल अधिकारी का नाम— तंबाकू नियंत्रण) स्थान /संस्थान/परिसर का नाम:

दूरभाष : -----



उल्लंघन की सूचना निम्नलिखित को भी दी जा सकती है:

कोटपा के उलंघन के लिए दण्ड

कोटपा की धारा

धारा 4: सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान पर प्रतिबंध

दण्ड (जुर्माना, कारावास या दोनों)

क) व्यक्तिगत अपराधी के लिए : 200 रु. तक

ख) स्वामी, प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के लिए: सार्वजनिक स्थानों में अपराधों की संख्या के बराबर जुर्माना।

धारा 5: सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध

क) पहला अपराध: 2 वर्ष/1000 रु.

ख) दूसरा अपराध: 5 वर्ष/5000 रु.

धारा 6: नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।

200 रु. तक

धारा 7,8 एवं 10: बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।

क) विनिर्माता :

पहला अपराध : 2 वर्ष/5000 रु.

दूसरा अपराध : 5 वर्ष/10000 रु.

ख) बिक्री/खुदरा बिक्री :

पहला अपराध : 1 वर्ष/1000 रु.

दूसरा अपराध : 2 वर्ष/3000 रु.

सम्पादकीय मंडल

प्रमुख सम्पादक

: डॉ. आर. के. श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार

: डॉ. दिनेश भटनागर, स्वास्थ्य सेवा अतिरिक्त महानिदेशक, भारत सरकार

: डॉ. डी.सी. जैन, स्वास्थ्य सेवा अतिरिक्त महानिदेशक, भारत सरकार

: डॉ. जगदीश कौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार

: डॉ. नैविन.सी. विल्सन, निदेशक, यूनिनियन दक्षिण-पूर्व एशिया कार्यालय, इंटरनेशनल यूनिनियन अगेंस्ट टुबर्क्यूलोसिस एवं लंग डिजीज़

: डॉ० मीरा. वी. आघी, व्यवहारशास्त्र परामर्शदाता एवं सूचना आदान-प्रदान विशेषज्ञ



भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- स्रोत :**
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 (कोटपा) और सा.का.नि. 417 (ई.) दिनांक 30 मई, 2008 के तहत अधिसूचित धूम्रपानरहित सार्वजनिक स्थान नियमावली, भारत सरकार।
- पी.सी. गुप्ता, एस आसमा, बीडी धूम्रपान एवं जन-स्वास्थ्य, नई दिल्ली : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 2008।
- के. एस. रेड्डी, पी.सी. गुप्ता, भारत में तंबाकू नियंत्रण के बारे में रिपोर्ट, नई दिल्ली : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 2004।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा विकसित, सहयोगी इंटरनेशनल यूनिशन अग्रेस्ट टुबक्यूलोसिस एवं लंग डिजीज़।